न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 47 / 2025

श्री शैतान सिंह पुत्र श्री रामरतन प्लॉट नम्बर 234 वैशाली नगर कॉलानी देलवाल जी रोड बंबोरी सवाई माधोपुर पिन 322001 राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक 08.07.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 25.03.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. राजस्व मंडल अजमेर क्रमांक प. 11 शिका / राम / अजमेरा—संभाग / टोंक / 2019 दिनांक 14.10.2019, कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक क्रमांक 8969—72 दिनांक 30.10. 2019 के तहत शिकायत की जांच उपखंड अधिकारी उनियारा को दी गई थी, उक्त शिकायत पर की गई जांच व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाहता हूं।
2. परिवादी को बयान या जांच के लिए कब बुलाया गया, जारी नोटिस मय तामिल रिपोर्ट सहित प्रमाणित प्रति चाहता हूं।
3. Rti आवेदन की प्रमाणित प्रति चाहता हूं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को पत्र कमांक 884 दिनांक 23.05. 2025 व 1075 दिनांक 13.06.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने पत्र क्रमांक 3008 दिनांक 13.06.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके पत्र क्रमांक 1808 दिनांक 25.04.2025 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)